

I/20298/2022

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका संख्या—

प्रेषक,

जय सिंह, भा०प्र०स०
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्ता,
सारण (छपरा)।

विषय :-

मुख्य शीर्ष— 2029-भू-राजस्व—उप मुख्य शीर्ष -00— लघु शीर्ष 102— सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य — उप शीर्ष -0101— सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में निधि का आवंटन।

प्रसंग :-

आपका पत्रांक 2865 दिनांक 22.12.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधिन पत्र के आलोक में कुल— **08,94,030/-** (आठ लाख चौरानवे हजार तीस) रूपये मात्र का आवंटन निम्नानुसार निर्गत किया जाता है :—

क्र०सं०	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	13 01 कार्यालय व्यय	आवंटित राशि
1	2	3	4
1	सारण (छपरा)	8,94,030	8,94,030

(आठ लाख चौरानवे हजार तीस रूपये मात्र)

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक – 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 314 दिनांक 27.02.2019 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
3. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/ उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या – 40 एवं विपत्र कोड **40 – 2029001020101** अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
5. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी निदेशालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या 11650 दिनांक 21.12.2020 के साथ संलग्न प्रपत्रों में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
6. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।
7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

I/20298/2022

8. नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कठौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।
10. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्त अवश्य अंकित की जाय।
11. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
12. आपके प्रसंगाधिन पत्र के आलोक में यह आवंटन अंतिम रूप से निर्गत किया जा रहा है। आवंटन व्ययगत होने की स्थिति में जिम्मेवारी का निर्धारण किया जाएगा तथा भविष्य में इस हेतु कोई आवंटन निर्गत नहीं किया जाएगा।

विश्वासभाजन

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, बिहार, पटना,
2. वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा),
3. अपर समाहर्ता, सारण (छपरा)
4. प्रमण्डलीय आयुक्त, सारण (छपरा) बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. श्रीमति सरीता कुमारी, प्रोग्रामर आई0टी सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को विभागीय वेबवाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।